50/2018

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
28/8/2018	पत्रावली पेश हुई। अपीलांट एवं अपीलांट के अधिवक्ता उपस्थित। वेदांत जैन 1 एवं उनके अधिवक्ता उपस्थित। वेदांत जैन 2 की ओर से कोई नहीं अधिवक्ता उपस्थित। अपीलांट के अधिवक्ता द्वारा वादपत्र एवं प्रार्थना पत्र नवम 1 मिसल व तर्क अपील पेश। विपक्षी की ओर से फिलहाल वे अपीलांट के अधिवक्ता द्वारा एवं वेदांत के अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया कि अपीलांट एवं वेदांत के मध्य समझौता हो गया है एवं वे किन कारणों अपील वापिस व तर्क में अपील अपील नहीं चलाना चाहते हैं अतः अपील की अपील पुनः अपील पेश करने की छूट देते हुए अपील खारिज मिसल। रवाना। वादी-गण अपीलांट के अधिवक्ता एवं वेदांत के अधिवक्ता के निवेदन पर अपील पुनः प्रस्तुत करने की छूट देते हुए अपील खारिज मिसल रवाना की जाती है। अपील न्यायालय को सूचना भेजी जाए। निचले न्यायालय को सूचना भेजी जाए। पत्रावली	ओ.पी. जैन अ.की. प्रतुल कुमार पहाड़िया अ.की. जमादार महाप्रबन्धक गाधी